संख्या-73/2022/1475/26-3-2022

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0,लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 13 जुलाई 2022

विषयः-चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिये राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक संख्या-363/स0क0/विकास/कोचिंग-बजट/2022-23, दिनांक-21.06.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022,दिनांक-07.06.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2225-01-789-08-अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिये राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन के विभिन्न मानक मदों में प्राविधानित धनराशि 255.35 लाख के सापेक्ष लेखानुदान के रूप में प्रथम चार माह हेतु अवमुक्त धनराशि रू0-78.45 लाख के पश्चात अवशेष धनराशि रू0-176.90 लाख (एक करोड़ छिहत्तर लाख नब्बे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति तालिका के विवरण के अनुसार अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	मानक मद	वित्तीय वर्ष 2022-23 में आय-व्ययक प्राविधान	शासनादेश दिनांक-27.05.2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में लेखानुदान अवधि हेतु प्रथम चार माह के लिये स्वीकृत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति
1	2	3	4	5
1	01-वेतन	57.82	19.27	38.55
2	03-मंहगाई भत्ता	21.39	7.13	14.26
3	04-यात्रा व्यय	0.50	0.17	0.33
4	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.40	0.13	0.27
5	06-अन्य भत्ता	0.50	0.17	0.33

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

6	07-मानदेय	50.00	16.66	33.34
7	08-कार्यालय व्यय	1.10	0.37	0.73
8	09-विद्युत देय	35.00	11.67	23.33
9	11-लेखन सामग्री और फर्मों की छपाई	0.75	0.25	0.50
10	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.75	0.25	0.50
11	13-टेलीफोन पर व्यय	0.70	0.23	0.47
12	41-भोजन व्यय	45.00	10.00	35.00
13	42-अन्य व्यय	20.00	6.67	13.33
14	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	5.00	1.66	3.34
15	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	1.00	0.33	0.67
16	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0.50	0.17	0.33
17	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00	0.00
18	55-मकान किराया भत्ता	1.94	0.65	1.29
19	56-नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00	0.00
20	58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	13.00	2.67	10.33
	योग -	**255.35**	**78.45**	**176.90**

(रू0 एक करोड छिहत्तर लाख नब्बे हजार मात्र)

(1)-स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2022-23 के लिये है, जिसके सापेक्ष होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर ले, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर है, तो जनपद स्तर पर व्यय किये जाने वाली धनराशि को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

(2)- स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07.06.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपाल सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

जाय। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिशचित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाय।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा सम्बन्धित वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग के संज्ञान में लाय जाये। इस सम्बन्ध में बी0एम-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध करायी जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(4)-उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्यक्त् धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्ड्रस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किय जाय।

यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07.06.2022 द्वारा प्रशासकीय विभागों को दिये गये दिशा-निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव

पृ0सं0-73 /2022/ 1475 /(1)/26-3-2022-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
6 निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।